



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम  
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

**रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/न.प./सा./पीआरओपी व एपीपीआर/ एचआर/सीकेएसआरयू/607/2025/79**

**दिनांक 11.05.2026**

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरल अनुसूची 'ए' कंपनी, **सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)**, कोलकाता में निम्नलिखित **कार्यकारी पद** को भरने के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है:

**क. पद का नाम, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कार्य अपेक्षाएं**

## तालिका 1

पद का नाम	शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कार्य अपेक्षाएं
प्रबंधक (यांत्रिक)	<p><b>शैक्षिक योग्यता:</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेकानिकल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिग्री।</p> <p><b>अनुभव:</b></p> <p><b>अनिवार्य:</b></p> <p>क) निम्नलिखित में से किसी भी कंपनी में योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम 9 वर्ष का प्रबंधकीय अनुभव:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• पोत निर्माण कंपनी या</li><li>• पोत मरम्मत कंपनी या</li><li>• अपतटीय निर्माण और अन्य समुद्री संबंधित इंजीनियरिंग कंपनियों या</li></ul> <p>ख) मेकानिकल एवं मशीनरी सिस्टम/ फैब्रिकेशन/ निर्माण/आउटफिटिंग/ संस्थापना/कमीशनिंग/प्रापण के क्षेत्रों में अनुभव होना चाहिए।</p> <p>ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी/स्वायत्त निकायों में नियमित कैडर में कार्यरत आवेदकों के मामले में, एक वर्ष का अनुभव तत्काल निचले वेतनमान या समकक्ष में होना चाहिए।</p> <p>घ) निजी क्षेत्र में कार्यरत या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकार/स्वायत्त निकायों में अनुबंध पर कार्यरत आवेदकों को सीएसएल के तत्काल निचले वेतनमान के औसत सकल वेतन के बराबर सीटीसी (केवल मौद्रिक/नकद भाग) प्राप्त होगा।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>ईआरपी/एसएपी/कंप्यूटरीकृत वातावरण में काम करने का अनुभव।</p>



## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

पद का नाम	शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कार्य अपेक्षाएं
	<p><b>कार्य अपेक्षाएं:</b></p> <p>क) पोत मरम्मत अनुभाग की गतिविधियों की योजना बनाना, आयोजन करना और समन्वय करना, विशेष रूप से निर्माणाधीन/मरम्मत/पुनर्निर्माण के अधीन पोतों पर यांत्रिक और मशीनरी प्रणालियों से संबंधित कार्य।</p> <p>ख) पोत निर्माण/मरम्मत परियोजनाओं से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन और समय पर समापन।</p> <p>ग) मरम्मत/पुनर्निर्माण के अधीन पोतों पर यांत्रिक और मशीनरी प्रणालियों के अनुबंध पैकेजों को तैयार करना और अंतिम रूप देना। मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण/पुर्जों की खरीद में सहायता करना।</p> <p>घ) परियोजना निष्पादन और बिल भुगतान के दौरान परियोजना टीम, ग्राहकों, विक्रेताओं और ठेकेदारों के साथ समन्वय स्थापित करना।</p> <p>ङ) उप-ठेके के कार्यों के लिए ठेकेदारों के साथ समन्वय स्थापित करना।</p> <p>च) एक कुशल टीम सदस्य होना और आधिकारिक गतिविधियों में पेशेवर रवैया प्रदर्शित करना।</p> <p>छ) कम समय के नोटिस पर यात्रा करने के लिए तत्पर होना, निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर होना आदि।</p> <p>ज) यार्ड गुणवत्ता प्रबंधन और एचएसई प्रणालियों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना।</p> <p>झ) उपरोक्त के अलावा, अधिकारी सीएसएल प्रबंधन द्वारा निदेश किसी भी अन्य कर्तव्य को निभाने के लिए उत्तरदायी होगा।</p>

### ख. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ : 11 मई 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 30 मई 2026



## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम  
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

### ग. ग्रेड, रिक्तियों और आरक्षण की संख्या:

#### तालिका 2

पद का नाम	ग्रेड	अनारक्षित
प्रबंधक (यांत्रिक)	ई 3	1

- (i) सीएसएल अपनी आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (ii) सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत इकाई खतरनाक कार्यों में संलग्न है। उपरोक्त पद पर दिव्यांगजनों की तैनाती से उन्हें गंभीर खतरा होने की संभावना है, इसलिए उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

### घ. वेतनमान, लाभ & तैनाती का स्थान

- (i) वेतनमान:

#### तालिका 3

ग्रेड	वेतनमान
ई 3	₹ 60,000-3%-1,80,000

- (ii) तिथि के अनुसार मासिक परिलब्धियां: -

#### तालिका 4

क्र.सं.	मज़दूरी प्रकार	ई 3
		राशि (₹)
1	मूल वेतन	₹ 60,000.00
2	महंगाई भत्ता (वर्तमान में 54.1%)	₹32,460.00
3	मकान किराया भत्ता (वर्तमान में 30%)	₹ 18,000.00
4	अनुपलब्धियां और भत्ते (35%)	₹ 21,000.00
	कुल	₹1,31,460.00

- (iii) अन्य लाभों में नई पेंशन योजना, अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, दुर्घटना बीमा कवरेज, चिकित्सा सहायता योजना, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सहायता योजना, अर्जित अवकाश नकदीकरण, प्रदर्शन संबंधी भुगतान आदि शामिल हैं, जो सीएसएल के नियमों के अनुसार स्वीकार्य हैं।
- (iv) नियुक्ति सीएसएल की इच्छानुसार सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) कोलकाता/ किसी अन्य सीएसएल इकाई/परियोजना स्थल पर होगी। हालाँकि, परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवार को सीएसएल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस पद पर नियुक्ति के साथ, सीएसएल के किसी भी विभाग में या पोतों पर या भारत के किसी भी भाग या विदेश में संचालित किसी भी इकाई/कार्य स्थल/परियोजना में सेवा करने का दायित्व जुड़ा हुआ है।



## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (v) चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा तथा वेतन संरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा।

### ड. आयु:

- (i) प्रबंधक (यांत्रिक) के पद के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 30 मई 2026 तक 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी अर्थात् आवेदकों का जन्म दिनांक 31 मई 1986 को या उसके बाद होना चाहिए।
- (ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी तथा 50 वर्ष तक होगी।

### च. चयन की रीति :

- (i) प्रबंधक (यांत्रिक) के लिए चयन प्रक्रिया सीकेएसआरयू, कोलकाता में आयोजित की जाएगी या साक्षात्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लिया जाएगा।
- (ii) चयन की विधि में पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण, ग्रूप चर्चा और वैयक्तिक साक्षात्कार शामिल होंगे। जिन उम्मीदवारों को पद के लिए अस्थायी रूप से लघुसूचीगत किया गया है, उन्हें अपने कार्य अनुभव (दस मिनट से अधिक नहीं) पर प्रकाश डालते हुए एक पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण देना होगा। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और कार्य अनुभव पर पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के आधार पर चयन समिति द्वारा कार्य अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा। पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के आधार पर, उम्मीदवारों को ग्रूप चर्चा और वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए आगे सूचीबद्ध किया जाएगा। केवल वे उम्मीदवार जो अधिसूचित कार्य अनुभव और काम की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें ग्रूप चर्चा और वैयक्तिक साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति होगी। अंतिम चयन के लिए निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को अंक दिए जाएँगे

• संबंधित कार्य/क्षेत्र में कार्य अनुभव	: 40 अंक
• कार्य अनुभव पर पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण	: 30 अंक
• ग्रूप चर्चा	: 10 अंक
• वैयक्तिक साक्षात्कार	: 20 अंक
<b>कुल</b>	<b>: 100 अंक</b>

- (iii) सीएसएल पद के लिए आवेदनों की जांच करने और प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और केवल ऐसे लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

### A. छ. शर्तें:

#### क) आरक्षण:

- (i) आरक्षण पर भारत सरकार के निर्देश लागू होंगे।



## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

### ख) योग्यता :

- (i) पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण/राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- (ii) जिन आवेदकों के पास निर्धारित योग्यताओं में से किसी के समकक्ष योग्यता है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसे प्रमाण पत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) आवेदकों को पद के लिए जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन में योग्यता परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सही प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड वर्ग या अंकों का प्रतिशत प्रदान नहीं करते हैं और समग्र ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि) आवंटित करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड अंक को वर्ग और/या अंकों के प्रतिशत में बदलने के लिए मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रतिशत रूपांतरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हालाँकि, जहाँ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड अंक को वर्ग और/या अंकों के प्रतिशत में बदलने के लिए मानदंड निर्धारित नहीं करता है या प्रतिशत रूपांतरण प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, वहाँ आवश्यक अंकों का प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है।

### ग) अनुभव :

- (i) उपरोक्त अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद अर्जित अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता-पश्चात अनुभव की अवधि दिनांक 30 मई 2026 तक मानी जाएगी।
- (ii) किसी भी संगठन में प्रशिक्षण अवधि को कार्य अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा, जिसमें कार्यकारी प्रशिक्षण, प्रबंधन प्रशिक्षण, प्रशिक्षु प्रशिक्षण, उन्नत प्रशिक्षण या किसी अन्य प्रशिक्षण की अवधि शामिल है।
- (iii) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों या समकक्ष स्थिति वाली विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्रों को ही सूचीबद्ध करने और चयन के लिए विचार किया जाएगा।
- (iv) आवेदक जो वर्तमान में किसी भी कंपनी (निजी / सार्वजनिक क्षेत्र / सरकारी) में काम कर रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति / प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची / अंतिम वेतन की प्रति और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीटीसी प्रमाणपत्र / पिछले वित्तीय वर्ष का आईटी फॉर्म -16 कार्य अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। पिछले रोजगार के लिए, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के साथ-साथ कार्यमुक्ति का संकेत देने वाला अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निजी



## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

क्षेत्र या अनुबंध रोल में काम करने वाले आवेदकों के मामले में, मासिक, वार्षिक घटकों, लाभों और वेतन पर्ची को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए सीटीसी ब्रेकअप के लिए दस्तावेज जमा किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए अनुभव को साबित करने के लिए सभी प्रमाण पत्र जमा करने चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

- (v) नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या अन्य समान संगठनों में कार्यरत आवेदकों को अपने आवेदन सीधे सीएसएल को ऑनलाइन जमा करने चाहिए। हालाँकि, ऐसे आवेदकों को एक घोषणापत्र (अनुलग्नक-I के अनुसार) अपलोड करना होगा कि उन्होंने अपने नियोक्ता को लिखित रूप से सूचित कर दिया है कि उन्होंने सीएसएल द्वारा अधिसूचित पद के लिए आवेदन किया है। ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकता है यदि वे अंतिम चयन से पहले नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं।
- (vi) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से प्राप्त सेवामुक्ति प्रमाणपत्र /बुक/पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना चाहिए। जिन भूतपूर्व सैनिकों के सेवामुक्ति प्रमाणपत्र /बुक में डिग्री अंकित है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित विषय में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सेवा अवधि के दौरान अर्जित की गई ऐसी योग्यता को योग्यता-पश्चात अनुभव की गणना के लिए भी माना जाएगा। अनुशासन में डिग्री की समकक्षता का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को सेवामुक्ति प्रमाणपत्र में समकक्षता का प्रमाण पत्र या समर्थन प्राधिकारी (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश देखें) के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित विषय में योग्यता और कार्य अनुभव दर्शाने वाले प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने चाहिए। उन्हें संबंधित प्राधिकारियों से अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) वे भूतपूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक के रूप में उन्हें दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद सिविल स्तर पर किसी सरकारी नौकरी में पुनः नियोजित होते हैं, सरकार में पुनः नियोजित होने के प्रयोजन हेतु उनकी भूतपूर्व सैनिक स्थिति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/27/84-स्था.(एससीटी) दिनांक 02.05.1985, 36034/6/90-स्था.(एससीटी) दिनांक 10.10.1994 और 36034/1/2014-स्था.(एससीटी) दिनांक 14.08.2014 द्वारा शासित होगी। सभी भूतपूर्व सैनिकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए लाभ (अनुलग्नक-II के अनुसार) प्राप्त करने के बाद उन्हें सरकार में पुनः नियोजित नहीं किया गया है।
- (viii) कर्मचारी जो वर्तमान में सीएसएल/सीएसएल की किसी अन्य इकाई में नियमित रोल पर कार्यरत हैं, वे सीएसएल द्वारा अधिसूचित समान वेतनमान पर समान पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।



## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम  
एक मिनिस्टरल अनुसूची ए कंपनी,  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (ix) आवेदकों को स्पष्ट रूप से किए गए कार्य की प्रकृति और संबंधित कार्यों में संभाले गए कर्तव्यों, जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही इसके सबूत के तौर पर अनुभव प्रमाण पत्र अधिसूचित पद के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपलोड करना होगा।

### घ) आवेदन शुल्क:

- (i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि) का उपयोग करके ₹ 1,000/- का आवेदन शुल्क (वापसी योग्य नहीं, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) प्रेषित किया जाना चाहिए, जिसे दिनांक 11 मई 2026 से 30 मई 2026 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- (iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को छोड़कर, उपरोक्त खंड में निर्धारित अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

### ङ) आवेदन कैसे करें :

- (i) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले [www.cochinshipyard.in](http://www.cochinshipyard.in) (करियर पृष्ठ – सीकेएसआरयू, कोलकाता) लिंक पर प्रकाशित उपयोगकर्ता पुस्तिका और एफएक्यू अवश्य पढ़ लेना चाहिए। आवेदन दो चरणों में होगा - एक बार पंजीकरण और संबंधित पद के लिए आवेदन जमा करना। आवेदकों को एक से अधिक आवेदन नहीं जमा करने चाहिए। एक बार जमा किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- (ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदक एसएपी ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार पंजीकरण कराकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की सुविधा वेबसाइट [www.cochinshipyard.in](http://www.cochinshipyard.in) (करियर पृष्ठ - सीकेएसआरयू, कोलकाता) के माध्यम से दिनांक 11 मई 2026 से 30 मई 2026 तक उपलब्ध है। सीधे या किसी अन्य माध्यम से जमा किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति आदि के प्रमाण के लिए सभी प्रमाण पत्र और हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन



## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम  
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- पोर्टल पर अपलोड किया गया है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक जमा किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के अंतिम रूप से जमा होने के बाद, आवेदन में दिए गए डेटा में किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। **किसी भी क्षेत्र में अनावश्यक/कबाड़ विवरण भरने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।**
- (v) इस विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण आवेदन/वापस लिए गए आवेदन/मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति "इन प्रोसस" दर्शाई जाएगी। आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार "माई एप्लीकेशन्स" में लॉग इन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन की स्थिति "इन प्रोसस" है ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदकों को संदर्भ के लिए सिस्टम द्वारा जनरेट की गई विशिष्ट पंजीकरण संख्या सहित ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/मुद्रित प्रति अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विशिष्ट पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने पर ही प्राप्त होगी। सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार के लिए ऑनलाइन आवेदन पर दी गई पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- (vii) **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन मुद्रित प्रति /प्रमाणपत्र/आवेदन शुल्क डीडी/चालान/चेक के रूप में डाक द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड/सीकेएसआरयू को भेजने की आवश्यकता नहीं है।**
- (viii) आवेदन जमा करने के उद्देश्य से वेबसाइट दिनांक 11 मई 2026 से चालू रहेगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई 2026 है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण आवेदन जमा न होने की संभावना से बचने के लिए, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से काफी पहले आवेदन जमा कर दें। **आवेदन की अंतिम तिथि पर आवेदन करने वालों को अंतिम तिथि के 16:00 बजे के बाद ईमेल/फ़ोन द्वारा आवेदन पोर्टल पर कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।**

### च) सामान्य:

- (i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
- (ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा: - भूतपूर्व सैनिक वह व्यक्ति है
- क) जो भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, और



## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- i. जो या तो अपने स्वयं के अनुरोध पर या पेंशन प्राप्त करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवामुक्त हो गया हो; या
  - ii. जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई हो; या
  - iii. जो स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त हो गया हो।
- ख) जिसे नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात्, उसके स्वयं के अनुरोध के अतिरिक्त, या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है और उसे उपदान दिया गया है; और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक सम्मिलित हैं, अर्थात् निरंतर सेवा या अर्हक सेवा के खंडित अवधियों के लिए पेंशन धारक; या
- ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापस आए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण या उनके कारण बढ़े हुए चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन दी गई है; या
- घ) कार्मिक, जो दिनांक 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
- ङ) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; अथवा
- च) भूतपूर्व भर्ती किए गए कर्मियों को चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त कर दिया गया या चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्रदान की गई।
- (iii) सीएसएल सीकेएसआरयू, उम्मीदवारों से उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाई गई शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में कोई भी अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और ऐसे प्रश्नों की जानकारी/उत्तर केवल ईमेल [career.cksru@cochinshipyard.in](mailto:career.cksru@cochinshipyard.in) के माध्यम से ही दिए जाने चाहिए। हालाँकि, निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ईमेल प्राप्त न होने/देरी के लिए सीएसएल या सीकेएसआरयू जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल द्वारा निर्धारित किसी अन्य चरण में किया जाएगा।** उम्मीदवारी पूर्णतः अस्थायी है, बशर्ते कि वे आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, चिकित्सा स्वस्थता आदि के मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हों। प्रमाणपत्र सत्यापन/कार्यभार ग्रहण करते समय, यदि लघुसूचीगत किए गए



## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते पाए जाते हैं या मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या तथ्यों और सूचनाओं को छिपाया गया है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति बिना किसी और सूचना के रद्द/अस्वीकृत कर दी जाएगी।

- (v) प्रबंधक के पद के लिए वैयक्तिक साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को, कंपनी के नियमों के अनुसार, पद के लिए स्वीकार्य तृतीय श्रेणी एसी का आने-जाने का रेल किराया, उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए डाक पते से सीकेएसआरयू, कोलकाता तक, प्रमाण प्रस्तुत करने पर, सबसे छोटे मार्ग से प्रतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय **बचत बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति, खाता संख्या और आईएफएससी कोड सहित**, जमा करनी होगी और प्रतिपूर्ति की यात्रा राशि एनईएफटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों को की जाएगी जो उपरोक्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। हालाँकि, प्रमाणपत्र सत्यापन के समय, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार अधिसूचित पात्रता शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं करता है, तो उसे न तो चयन प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाएगा और न ही उसे कोई यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किए गए चयन के मामले में यह खंड लागू नहीं होगा।
- (vi) **अपात्रता के मामले में आवेदन को अस्वीकार करने के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।**
- (vii) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएँगे।** उन्हें ईमेल/सीएसएल वेबसाइट [www.cochinshipyard.in](http://www.cochinshipyard.in) के माध्यम से बुलावा पत्र डाउनलोड करने की सूचना दी जाएगी। **चयन प्रक्रिया की अनुसूची लघुसूचीगत किए गए आवेदकों को ईमेल/सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ - सीकेएसआरयू, कोलकाता) के माध्यम से सूचित की जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे चयन से संबंधित अद्यतन के लिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ - सीकेएसआरयू, कोलकाता) को बार-बार देखते रहें।
- (viii) केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना, बुलावा पत्र जारी करना और चयन प्रक्रिया में भाग लेना आवेदक को उम्मीदवारी स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं देगा या इसे पात्रता मानदंड को पूरा करने की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है या यह नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के लिए किसी भी दावे का हकदार नहीं बनाएगा।
- (ix) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, यदि लागू हो, के अधीन होगी।
- (x) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच करवाना होगा। ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जाँची जा सकती है और उम्मीदवार की नियुक्ति चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।



## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (xi) चयनित उम्मीदवार को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के इस्तेमाल पर सीएसएल नीति का अनुपालन करने हेतु एक वचनपत्र देना होगा।
- (xii) सीएसएल सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/छुट्टी वेतन/उपदान/पेंशन योगदान आदि के कारण कोई देयता नहीं उठाएगा।
- (xiii) पद के लिए रैंक सूची बनाए रखी जाएगी और रैंक सूची की वैधता आखिरी उम्मीदवार के रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, परिणाम प्रकाशित होने पर कार्यभार ग्रहण करने की सलाह दी गई उम्मीदवारों की सूची से या उसी पद के लिए नया अधिसूचना जारी होने तक। रैंक सूची तभी चलाई जा सकती है जब कोई रिक्ति या तो रैंक सूची से कार्यभार ग्रहण करने की सलाह दिए गए उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण न करने की वजह से हो या सीएसएल की मर्जी से रैंक सूची से चुने गए उम्मीदवारों के बाद में अलग होने की वजह से हो।
- (xiv) ऊपर बताई गई या किसी दूसरी शर्त के बावजूद, सीएसएल के पास अधिसूचित की गई रिक्ति को न भरने का अधिकार है। इसके अलावा, अधिसूचित की गई रिक्ति को भरना रैंक लिस्ट में उम्मीदवारों की योग्यता, परियोजना की उपलब्धता और कार्य की ज़रूरतों पर निर्भर करेगा। सीएसएल के पास, अगर ज़रूरत पड़ी, तो बिना कोई नोटिस दिए या कोई कारण बताए, भर्ती प्रक्रिया को रोकने/बदलने/रद्द करने/बदलने का अधिकार है।
- (xv) आवेदन प्रस्तुत करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति माना जाएगा।
- (xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ परिणामों के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किए जाएंगे।
- (xvii) इस विज्ञापन और/या इसके जवाब में किसी आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया से होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्रवाई सिर्फ़ एर्णाकुलम के कोर्ट/ट्रिब्यूनल/फोरम में ही की जा सकती है और ऐसे कोर्ट/अथॉरिटी का ही एकमात्र और खास अधिकार क्षेत्र होगा।
- (xviii) इस विज्ञापन में कोई भी बदलाव, संशोधन या जानकारी सिर्फ़ सीएसएल वेबसाइट पर ही दी जाएगी।
- (xix) विज्ञापन और चयन से जुड़ी किसी भी और जानकारी के लिए, कृपया हमें [career.cksru@cochinshipyard.in](mailto:career.cksru@cochinshipyard.in) पर ईमेल या लैंडलाइन नं. (033)-29500058 करें।

**"किसी भी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी "**

**"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करें।"**

ह/-

**प्रबंधक (मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध)**